फर्द अहकाम
नियम 26
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर
उनवान

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. करनाराम पुत्र ठाकराराम जाति सुथार निवासी खड़ीन तहसील रामसर		1. ठाकराराम पुत्र श्री हरखाराम 2. हरीओम पुत्र खेताराम 3. नारायण पुत्र खेताराम 4. प्रियंका पुत्री खेताराम जाति सुथार निवासी खड़ीन तहसील रामसर। 5. उपपंजीयक एवं तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन 251 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.10.2025	प्रार्थीगण के वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2025 को पेश किया। बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है, यदि विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न व विवाद उत्पन्न होना संभव हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति संभव हैं। अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्षकारान को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि कि तहसील रामसर के राजस्व ग्राम मौजा देवराज नगर पटवार हल्का खड़ीन के खेत खसरा संख्या 820/758 रकबा 1.6188 मौजा पनोणी मेघवालो की बस्ती तहसील रामसर के खसरा संख्या 695/691 रकबा 1.4367 हेक्टयर भूमि में विविादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि रकबा 15.07 बीघा भूमि पर मौके एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, नया निर्माण नहीं करने तथा प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आशय का अंतरिम स्थगन आदेश आगामी पेशी तारीख तक जारी किया जाता है। विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 29.11.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर रामसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.10 10:31:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner